राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1707/2024

भगवान सिंह राठौड़ —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिवालय, वित्त (राजस्व), शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व), शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक एवं पदेन कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर ए ब्लॉक वित्त भवन, ज्योती नगर, जनपथ, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 26.04.2024
आदेश की दिनांक : 29.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखराज सिंह राठौड़, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.04.2023 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अग्रिम आदेशों तक अपीलार्थी को पंचायत समिति देसूरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 29.08.2023 (अनुलग्नक–6) से पंचायत समिति देसूरी पाली का प्रभार अपीलार्थी के स्थान पर श्री मोहन लाल सिंगल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I पंचायत समिति बाली को अतिरिक्त प्रभार दिये जाने के आदेश को अपीलार्थी ने इस अपील में चुनौती दी है। साथ ही अपीलार्थी ने अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने के आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 2(F) में सेवा मामलों को परिभाषित किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से अतिरिक्त कार्यभार (Additional Charge) दिये जाने को सेवा मामलों से पृथक रखा गया है। इस प्रकार इस अधिकरण में समक्ष अतिरिक्त कार्यभार (Additional Charge) दिये जाने को चुनौती नहीं दी जा सकती है।
3. अतः यह अपील इस अधिकरण के समक्ष पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य